56

MD (Urgent)

महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या 3474 /XII /13/86(28)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,(जनपद–हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।
2. निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज विभाग देहरादून, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013

विषयः ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 6245/XII/12/86(28)2006 दिनांक 27–12–2012 के ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसीमन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन किया गया था। रिट याचिका संख्या 1612/2013 (MS) श्रीमती मधु चौहान एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य रिट संख्या–1610/2013 (MS) अमित नांरग एवं अन्य तथा PIL 140/2013, ललित मोहन पन्त बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पुनः परिसीमन/पुर्नगठन तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिये गये है। ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन एवं परिसीमन में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947(उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 11–च एवं धारा 12 (1)(ग) में कतिपय संशोधन किये गये। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के सम्बन्ध में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पुनर्गठन एवं परिसीमन किया जाना आवश्यक है। कतिपय ग्रम पंचायतों में एवं उनके निर्वाचित प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में परिसीमन के सम्बन्ध में अनेक विसंगितयां रह गयी हैं तथा कुछ ऐसे राजस्व ग्राम जिनकी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किन्तु पूर्ववर्ती परिसीमन में ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मानक पूर्ण न कर पाने के कारण ग्राम पंचायत गठित होने से वंचित रह गयी हे, जो सम्भवतः वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना में मानक पूर्ण करती हो। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम पंचायतो के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नगठन एवं परिसीमन हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किये जाने लिए निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. **ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में :–**

क– उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम धारा 11–च में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार मानक निर्धारित किये गये है।

1. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में :– पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन यथासाध्य 300 (तीन सौ) की जनसंख्या पर किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन यथासाध्य 1000 (एक हजार) न्यूनतम् जनसंख्या पर किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 (एक हजार) तथा मैदानी क्षेत्रो के यथासाध्य 5000 (पांच हजार) रखी जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन हेतु निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाय।

1. पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व राजस्व विभाग से समस्त राजस्व ग्रामों की त्रुटि रहित सूची प्राप्त की ली जाये।
2. ग्राम पंचायतों के गठन हेतु किसी राजस्व ग्राम या उसके मजरे को विभाजित नही किया जायेगा।
3. पुनर्गठन प्रस्ताव में प्रश्नगत् अधिसूचना को उपबन्धों को ध्यान में रखा जायेगा परन्तु जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में एक राजस्व ग्राम 1000 हजार से अधिक आबादी का हो अथवा मैदानी क्षेत्र में 5000 से अधिक आबादी का हो वह प्रस्तर–02-के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
4. किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में केवल ऐसे राजस्व ग्रामों/मजरों को सम्मिलित किया जायेगा जो भौगोलिक दृष्टि से एक–दूसरे के निकटस्थ हों तथा ऐसे राजस्व ग्रामों/मजरों के बीच में कोई प्राकृतिक नदी या नाला पहाड़ या अन्य कोई अवरोध उनके बीच आवागमन में बाधक न हो। ऐसी ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित करते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त राजस्व ग्राम की भौगोलिक प्ररिस्थिति (प्राकृतिक नदी, नाला तथा पहाड़) के कारण ग्राम पंचायतों का गठन आवश्यक है।
5. ऐसे मजरे या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने में यह ध्यान रखा जायेगा कि इसके मध्य किसी दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र न पड़ता हो।
6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम या मजरें के नाम से ही उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र को जाना जायेगा।
7. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर की जाय।

(क) राज्य की सीमान्त घाटियों यथा जनपद चमोली में जोशीमठ जनपद उत्तरकाशी में भटवाड़ी एवं जनपद पिथौरागढ में धारचूला व मुनस्यारी विकास क्षेत्र एव अन्य यदि कही छः छः माह प्रवास की परम्परा हो के अतिदुर्गम क्षेत्रों के कतिपय राजस्व ग्रामों के निवासी जो शीतकालीन प्रवास के दौरान निचले क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाते है, ऐसे राजस्व ग्राम पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में गठित थे, किन्तु वर्ष 2002 एवं वर्ष 2007 के पुनर्गठन के दौरान ऐसी ग्राम पंचायतों का अस्तित्व इस कारण समाप्त कर दिया गया था कि उनमें जनसंख्या का मानक पूर्ण नही है और उन्हें अन्य ग्राम पंचायतों में विलीन कर दिया गया था जबकि ये राजस्व ग्राम भौगोलिक रूप से दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है और जिन ग्राम पंचायतों में उन्हें सम्मिलित किया गया है वे भोगोलिक रूप से सहंत क्षेत्र नही है और बीच में नदी,नाले पड़ने के कारण उनमें आपस में आवागमन की सुविधा भी नही है, ऐसे राजस्व ग्राम जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में गठित थे की जॉच कर उन्हें पुनः ग्राम पंचायत के रूप गठित करने पर विचार कर लिया जाय।

(ख) उपरोक्त कठिनाई के संबंध में जनपद पौड़ी के नैनीडांडा आदि क्षेत्रों से भी ऐसे प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी यदि पूर्व में गठित ग्राम पंचायतें जिनका अस्तित्व वर्ष 2007 के पुनर्गठन में समाप्त कर दिया गया था यदि ऐसे राजस्व ग्राम भौगोलिक रूप

से पुनः ग्राम पंचायत के रूप में गठित किये जाने की आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरणों पर भी विचार कर लिया जाय।

(ग) यदि कोई राजस्व ग्राम या ग्रामों के समूह ग्राम पंचायत के रूप में गठित होने के लिए जनसंख्या का मानक पूर्ण करते हों और वर्ष 2007 के पुनर्गठन में किन्ही कारणों से इन्हें ग्राम पंचायत के रूप में गठित न किया जा सका हो तो ऐसे प्रकरणों पर भी इस पुनर्गठन में विचार कर लिया जाय। प्रतिबन्ध यह है कि उससे अवशेष ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम न होने पाये।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जिला स्तर पर पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार किये जायेगें, उनका अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा और इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तावों और उन पर प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उन्हें अन्तिम रूप देकर सूची संलग्न प्रारूप–1 पर तैयार कर निदेशक, पंचायतीराज को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करा दी जाय।

2–नवगठित एवं पुनर्गठन से प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमनः–

1– उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 (1)(ग) के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है।

(1) 500 तक की जनसंख्या पर 5 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।
(2) 501 से 1000 तक की जनसंख्या पर 7 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।
(3) 1001 से 2000 तक की जनसंख्या पर 9 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।
(4) 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पर 11 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।
(5) 3001 से 5000 तक की जनसंख्या पर 13 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।
(6) 5001 से अधिक जनसंख्या पर 15 प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र होगें।

ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी नियमावली के नियम–3 में यह प्राविधान है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या को उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जायेगा, और यदि शेषफल भाजक से आधे से कम न हो तो भागफल में एक ही वृद्धि की जायेगी तथा शेषफल भाजक के आधे से कम होने की दशा में उसे छोड दिया जायेगा। इस प्रकार आंकलित जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो का परिसीमन उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के उत्तर पूर्व से वामावर्थ से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः संख्याकित किया जायेगा। ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाने में यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र हो तथा किसी निवास इकाई को विभाजित नही किया जायेगा। ग्राम पंचायतों के प्रस्तावित प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सूची संलग्न प्रारूप–2 पर तैयार की जायेगी।

ग्राम पंचायत के लिए बनाये जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के प्रकाशन की व्यवस्था परिसीमन सम्बन्धी नियमावली के नियम–6 में दी गयी है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने के उपरान्त इनकी सूची प्रारूप–2 में बनायी जायेगी और उसमें निर्वाचन क्षेत्र के भीतर समाविष्ट क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा और इसे प्रकाशित किया जायेगा।

2– आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से पूर्व नवगठित एवं पुनर्गठन से प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

1. नवगठित एवं पुनर्गठन से प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रस्ताव उक्त मानको के अनुसार तैयार किये जाय।
2. परिसीमन प्रस्ताओं का प्रकाशन करते हुए उन पर आपत्तियॉ भी आमन्त्रित की जाय।
3. प्राप्त आपत्तियों का समबद्ध निस्तारण करते हुए परिसीमन की अन्तिम प्रस्ताव तैयार कर लिए जाय तथा उन्हें समय पर पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
4. आपत्ति निस्तारण हेतु समितिः– सभी प्रकार की प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण प्रत्येक जनपद में निम्नवत समिति द्वारा किया जायेगाः–

(क) जिलाधिकारी – अध्यक्ष
(ख) मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
(ग) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत– सदस्य
(घ) जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य एवं सचिव।

उक्त समिति द्वारा प्रत्येक आपत्ति पर सम्यक विचारोपरान्त एक स्पष्ट आदेश पारित करते हुये उसका निस्तारण किया जायेगा और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन तथा परिसीमन के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूपो पर तैयार किये जायेगे। पुनर्गठन एवं परिसीमन की सम्पूर्ण प्रकिया निम्न समय सारणी के अनुसार सम्पन्न की जायेगी।

समय सारणी (पुनर्गठन एवं परिसीमन)

क्र0सं0	बिन्दु	समय
1	प्रस्तावित पुर्नगठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करना	03.12.2013 से 05.12.2013
2	पुर्नगठन प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन	06.12.2013
3	पुर्नगठन प्रस्तावों पर आपत्तियों आमंत्रित करना	07.12.2013 से 09.12.2013
4	प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	10.12.2013 से 11.12.2013
5	अन्तिम प्रस्तावों का प्रकाशन एवं निदेशालय को भेजा जाना	12.12.2013
6	नवगठित एवं उससे प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करना	13.12.2013 से 16.12.2013
7	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अनन्तिम प्रकाशन	17.12.2013
8	प्रादशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करना	18.12.2013 से 19.12.2013
9	आपत्तियों का निस्तारण	20.12.2013 से 21.12.2013
10	परिसीमन प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन	23.12.2013
11	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को उपलब्ध कराना	24.12.2013

6:14 PM/12/3/2013/RAJU BONAL NEW FILE 2013/DATE 20-06-2012 TIME 6:14 PM

उक्त क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गठन व परिसीमन की सम्पूर्ण कार्यवाही वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर की जायेगी। उपरोक्त पुर्नगठन एवं परिसीमन प्रस्ताव से संबन्धित आपत्तियॉ जिलाधिकारी कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एवं विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न संचार माध्यमों यथा समाचार पत्रो, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से ब्यापक प्रचार प्रसार कराने का भी कष्ट करे। उपरोक्त समस्त कार्यवाही समय सारणी के अनुसार पूर्ण करते हुए पुनर्गठन एवं परिसीमन के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्रों पर चार–चार प्रतियों निर्धारित तिथियों तक निदेशक, पंचायती राज को सी0डी0 सहित अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 3474/XII /13 /86(28)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय)उत्तराखण्ड ।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
6. मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा वांछित सूचनायें समय से उपलब्ध करायें।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0 नपलच्याल)
अपर सचिव।

प्रारूप–1

क्षेत्र पंचायत का नाम

जिले का नाम

वर्तमान स्थिति					संशोधित स्थिति				
क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या 2011	सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों की जनसंख्या 2011	क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या 2011	सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों की जनसंख्या 2011

हस्ताक्षर/– जिला पंचायतराज अधिकारी

हस्ताक्षर/– जिलाधिकारी

प्रारूप–2

ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

जिला.................................... **विकास खण्ड** ....

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्रा.पं. क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत की जनसंख्या का विवरण			त्वरित सर्वेक्षण वर्ष 2013 के आधार पर ग्रा.पं. क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	प्रादे.निर्वा. क्षेत्र का विवरण म0नं0... से म0नं0... तक	वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण			त्वरित सर्वेक्षण वर्ष 2013 के आधार पर प्रा0नि0 क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या	प्रा.नि.क्षे. में अ.ज.जा., अ.जा. तथा पि.वर्ग के व्यक्तियों को छोड़ते हुये शेष जन संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के प्रस्तावित आवंटन का विवरण						अन्य	
			अनु0ज0जा0	अनु0जा0	कुल जनसंख्या				अनु0ज0जा0	अनु0जा0	कुल जनसंख्या			अ.ज.जा. महिला	अ.ज.जा.	अ.जा. महिला	अ.जा	पि.वर्ग की महिला	पि. वर्ग	महिलायें	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

नोट–1. क्रमांक 15 से 22 तक के स्तम्भ स्थानों के आवंटन व आरक्षण भरे जायेंगे।

2. प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित आवंटित स्थानों का वर्गवार योग भी दिया जाये।

हस्ताक्षर
जिला पंचायत राज अधिकारी।

हस्ताक्षर/–जिलाधिकारी,